झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्र॰ स्वी॰–181/2014/............................../राँची, दिनांक ....

प्रेषकः

ई॰ शिवा नन्द राय,
संयुक्त सचिव (अभि॰)।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन संलग्न परिशिष्ट–I एवं II के अनुसार झालको द्वारा कार्यान्वयन हेतु 15 अदद् विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु कुल लागत राशि रू० 252.04 लाख (रूपये दो करोड़ बावन लाख चार हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2 जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन संलग्न परिशिष्ट–I एवं II के अनुसार झालको द्वारा कार्यान्वयन हेतु 15 अदद् विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु कुल लागत राशि रू० 252.04 लाख (रूपये दो करोड़ बावन लाख चार हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3 इन 15 अदद विभिन्न लघु योजनाओं के निर्माण की कुल लागत राशि रू० 252.04 लाख (रूपये दो करोड़ बावन लाख चार हजार) मात्र है। इन योजनाओं से कुल 439 हे॰ (खरीफ–349 हे॰ एवं रब्बी–90 हे॰) सिंचाई क्षमता का सृजन होगा। योजनावार इंसीडेंस ऑफ कॉस्ट, सिंचन क्षमता, B.C. Ratio (@)10 % Interest) सलंग्न परिशिष्ट–I एवं II में अंकित है।

4 इन योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ दी जाती है :–

(i) प्रबंध निदेशक झालको द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जल उपभोक्ता समिति / ग्राम सभा से सहमति प्राप्त किया जाना सूनिश्चित किया जाएगा।

(ii) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व जल उपभोक्ता समिति का गठन कराया जाना प्रबंध निदेशक झालको द्वारा सूनिश्चित किया जाएगा।

(iii) प्रस्तावित योजनाओं का निर्माण झारखंड लोक निर्माण संहिता 2012 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजनाओं के निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व जल उपभोक्ता समिति का होगा। **अगर कार्यस्थल पर योजनाओं के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति जल उपभोक्ता समिति (WUA) से प्राप्त नहीं रहने पर योजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जाएगा।**

(iv) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के उपरान्त संबधित क्षेत्रीय प्रबंधक झालको द्वारा ग्राम सभा से यह प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाएगा कि **योजना का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक कराया गया है।**

(v) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा एवं प्रबंध निदेशक झालको द्वारा इसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

5 इन योजनाओं पर होने वाला व्यय निम्न बजट शीर्ष अन्तर्गत भारित होगाः–

(क) **परिशिष्ट–I के अनुसार** होने वाला व्यय की राशि बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–101–सतही जल–उपशीर्ष–19–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–मुख्य निर्माण कार्य'' अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध में विकलनीय होगा।

(ख) **परिशिष्ट–II के अनुसार** होने वाला व्यय की राशि बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना–उपशीर्ष–19–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–मुख्य निर्माण कार्य'' अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध में विकलनीय होगा।

6. इन योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2015–2016 में पूर्ण किए जाना है।

7. प्रस्तावित कार्यो को डिपोजिट वर्क (Deposit Work) के रूप में कराया जाएगा।

8. प्रबंध निदेशक झालको प्रस्तावित कार्यो हेतु आवंटित राशि को पी०एल० खाता में जमा करेगें।

9. प्रस्तावित कार्यो के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा नियंत्रण पदाधिकारी प्रंबध निदेशक झालकों होगे।

10. इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि की निकासी प्रबंध निदेशक झालकों एवं संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग झारखंड राँची के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

11. इन कार्यो के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12. इस कार्य के राशि की निकासी राँची कोषागार से की जायगी।

13. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

14. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

15. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु:–परिशिष्ट–I एंव II

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक: 3/पी०एम०सी०/प्र० स्वी०–181/2014/............................../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु:–यथोक्त।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक: 3/पी०एम०सी०/प्र० स्वी०–181/2014/............................../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु:–यथोक्त।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक: 3/पी०एम०सी०/प्र० स्वी०–181/2014/............................../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि: सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/प्रबंध निदेशक झालको, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

अनु:–यथोक्त।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्र॰ स्वी॰–181/2014/............................../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची/उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग/पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर/कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा/संथालपरगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुः–यथोक्त।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्र॰ स्वी॰–181/2014/............................../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदया, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुः–यथोक्त।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्र॰ स्वी॰–181/2014/13/14-159 स्वी॰**/राँची, दिनांक** 16.06.2014

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

अनुः–यथोक्त।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

16/06/14

पत्रांक 13/14-15 5 स्वी. दिनांक 16.06.2014

(7)

परिशिष्ट–I

लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन OSP अन्तर्गत झालको द्वारा 8 अदद तालाब/आहर/बाँध निर्माण हेतु विवरणी

Sl. No.	Name of Work	District	Block	Village	Estimated Cost (In Lakh)	Irrigation Potential in Hect.			B.C. Ratio	Incidence of Cost Lakh per Hect.
						Kharif	Rabi	Total		
1	Const. of Pucca Irrigation Nali from Land of Dilip Singh to Land of Nageshwar Singh	Palamau	Hussainabad	Jharha	15.00	48	8	56	3.11	0.27000
2	Const. and Renovation of Irrigation Channel from 46.00 R.D. to Land of Hari Ram	Palamau	Haidernagar	Bhal Bigha	18.00	38	13	51	1.65	0.35000
3	Const. of Irrigation Channel from Main Canal to House of Kapil Deo Yadav	Palamau	Haidernagar	Akouni	18.00	45	14	59	2.90	0.31000
4	Const. of Pond at Bangawa	Hazaribagh	Chalkusa	Bangawa	12.21	15	5	20	1.10	0.61670
5	Const. of Pond at Nawadih	Giridih	Bengabad	Nawadih	19.20	17	3	20	1.09	0.96000
6	Const. of Pond Masnjora	Deoghar	Deoghar	Masanjora	19.88	24	7	31	2.112	0.82845
7	Const. of Pond Jaruadih	Deoghar	Devipur	Jaruadih	15.00	20	3	23	2.939	0.75000
8	Const. of Harnabad Irrigation Pond	Hazaribagh	Padma	Harnabad	13.34	12	3	15	1.17	0.88906
	Total				**130.64**	**219**	**56**	**275**		

पत्रांक 13/14-15 प्र.स्त्री. दिनांक 16.06.2014

(6)

परिशिष्ट–II

लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन TSP अन्तर्गत झालको द्वारा 7 अदद चेक डैम/तालाब/आहर/बाँध निर्माण हेतु विवरणी

Sl. No.	Name of Work	District	Block	Village	Estimated Cost (In Lakh)	Irrigation Potential in Hect.			B.C. Ratio	Incidence of Cost Lakh per Hect.
						Kharif	Rabi	Total		
1	Construction of Kurmakita Chit Irrigation Pond	Dumka	Jarmundi	Kurmakita	15.00	20	5	25	1.927	0.91400
2	Construction of Sidhu Kanhu Kranti Asthal Irrigation Pond	Sahebganj	Berhait	Panchkathia Santhali	19.20	22	6	28	1.183	0.68571
3	Construction of Pond at Kolma Chutardih (on land of Shambhu nath yadav)	Ranchi	Rahe	Kolmatola Chutardih	19.82	13	2	15	1.238	1.32133
4	Construction of Pond in Lohardaga Village	West Singhbhum	Khuntpani	Lohardaga	15.00	16	4	20	2.93	1.00450
5	Construction of Pond at Jamdahi (Opposite School Plot No. 2022)	Jamtara	Nala	Jamdahi	15.00	23	5	28	2.262	0.86496
6	Const. of Pipalgarha Pond	Latehar	Manika	Sadhwadih	20.00	20	8	28	1.98	0.85393
7	Const. of Irrigation Pond	Sahibganj	Barhait	Bhairodhab	17.38	16	4	20	1.26	0.75150
Total					**121.40**	**130**	**34**	**164**		